न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 349/2022

प्रार्थीगण :–

1. सुखी देवी पत्नी भबूतराम जाति जाट निवासी जोधपुर रोड पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. सुखाराम पुत्र अखाराम
2. उम्मेदाराम पुत्र पूराराम
3. खरथाराम पुत्र पूराराम
4. टीकमाराम पुत्र पूराराम
5. पोकरराम पुत्र पूराराम
6. शेराराम पुत्र पूराराम सभी जातियान जाट
7. जय प्रकाश गोयल पुत्र राम किशोर जाति अग्रवाल नि0 अग्रवालो कालॉनी बालोतरा।
8. जसकी पत्नी बालाराम जाति पालीवाल
9. बालाराम पुत्र पोकरराम जाति पालीवाल निवासी भाडियावास तहसील पचपदरा।
10. राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार कल्याणपुर
11. कौशलाराम पुत्र भैराराम जाति जाट
12. अर्जुनराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी –माडपुरा हाल–हिमताणियो भांभुओ की ढाणी तह0 कल्याणपुर।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) ✻ बालोतरा ✻

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:08:26 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–1. श्री अचलाराम थोरी , प्रार्थीनी अधिवक्ता

2. श्री लाधुराम चौधरी, विप्रार्थी संख्या 1 ता 6 व 11

3. विप्रार्थी संख्या :– 7 ता 10 एकपक्षीय

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश   दिनांक :– 10.4.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी का खेत सरहद मौज़ा हिम्ताणियों भाभुंओ की ढ़ाणी, पटवार क्षेत्र कुडी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर में खसरा संख्या 2 रकबा 1.6997 हैक्टयर अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीनीकी भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीनी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीनी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 ता 6 व 11व 12 के वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 1 से 6 व 11 ,12 के वकील ने प्रतीप प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 875/3 रकबा 50 बीघा, खसरा संख्या 876/3 रकबा 50 बीघा, खसरा संख्या 877/3 रकबा 50 बीघा, खसरा संख्या 878/3 रकबा 50 बीघा, मौजा हिम्ताणियों भाभुंओ की ढाणी, पटवार क्षेत्र कुडी सीमाज्ञान व पत्थरगढी हेतु पेश किया गया । विप्रार्थी संख्या 7 ता 10 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 7 से 10 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीनी की कृषि भूमि ग्राम मौजा हिम्ताणियों भाभुंओ की ढाणी, पटवार क्षेत्र कुडी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर में खसरा संख्या 2 रकबा 1.6997 हैक्टयर अवस्थित आई हुई है । जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 06 एवं 11 व 12 की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थी संख्या 1 से 06 वकील 11व1[illegible]लअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि[illegible] करते रहते है, और प्रार्थीनी की खातेदारी भू[illegible]ा करने का प्रयास किया जाता है और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारा[illegible] तनाजा रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:08:26 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विप्रार्थी संख्या 1 से 6 एवं 11व 12 की और से विशेष आपत्तियां एवं काउण्टर क्लेम जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीनी की खसरा संख्या 2 रकबा 1.06997 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान एवं नेखमबंदी करते समय विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 एवं विप्रार्थी संख्या 11 व 12 अर्जुनराम एवं कौशलाराम की भूमि की भी पत्थरगढी सीमाज्ञान एवं नेखमबंदी करवायी जावे । जिस पर प्रार्थीनी वकील ने सहमति जारी की गई कोई उज्र एतराज पेश नहीं किया। अतः प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने मे कोई आपत्ति प्रकट नही होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

हमने वकील प्रार्थीनी वकील व विप्रार्थी संख्या 1 से 06 व 11 व 12 की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॅार्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा हिम्ताणियों भाभुंओ की ढाणी, पटवार क्षेत्र कुडी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर में खसरा संख्या 2 रकबा 1.6997 हैक्टयर एव खसरा संख्या 875/3 रकबा 50 बीघा, खसरा संख्या 876/3 रकबा 50 बीघा, खसरा संख्या 877/3 रकबा 50 बीघा, खसरा संख्या 878/3 रकबा 50 बीघा, मौजा हिम्ताणियों भाभुंओ की ढाणी, पटवार क्षेत्र कुडी भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीनी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थीनी हकदार भी है ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) कार्यालय * बालोतरा *

प्रार्थीनी ने तहसीलदार से सीमाज्ञान का आदेश लेकर दिनांक 5/12/2022 को सीमाज्ञान भी करवाया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन पत्र व विप्रार्थीगण प्रतीप प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र व विप्रार्थीगण का प्रतीप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा हि[illegible] पटवार क्षेत्र कुडी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील कल्याणपुर जि[illegible] खसरा संख्या 2 रकबा 1.6997 हैक्टयर व खसरा संख्या 875/3 रकबा 50 बी[illegible] संख्या 876/3 रकबा 50 बीघा, खसरा संख्या 877/3 रकबा 50 बीघा, खसर[illegible]ख्या 878/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:08:26 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रकबा 50 बीघा, मौजा हिम्ताणियों भाभुंओ की ढाणी, पटवार क्षेत्र कुडी भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है ।कमिनर फीस 1500/– प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण संयुक्त रूप से मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 10.04.2023 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:08:26 IST
Reason: SelfAttested